

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 44

अप्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3476.02	3476.02	...	3829.75	3829.75	...	3860.78	3860.78	...	4884.02	4884.02	
पूँजी	...	9.95	9.95	...	149.25	149.25	...	82.78	82.78	...	271.31	271.31	
जोड़	...	3485.97	3485.97	...	3979.00	3979.00	...	3943.56	3943.56	...	5155.33	5155.33	
सीमा शुल्क													
1. सीमा शुल्क संग्रहण	2037	...	1026.47	1026.47	...	1147.97	1147.97	...	1128.69	1128.69	...	1390.08	1390.08
2. सीमा शुल्क पर अन्य व्यय													
2.01 सीमा शुल्क कल्याण निधि	2037	...	5.58	5.58	...	6.20	6.20	...	5.58	5.58	...	17.50	17.50
2.02 अन्य मदें	2037	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.42	2.42
4047		...	5.45	5.45	...	100.00	100.00	...	57.72	57.72	...	133.22	133.22
जोड़	7.75	7.75	...	102.30	102.30	...	60.02	60.02	...	135.64	135.64
जोड़- सीमा शुल्क पर अन्य व्यय	13.33	13.33	...	108.50	108.50	...	65.60	65.60	...	153.14	153.14
जोड़-सीमा शुल्क	1039.80	1039.80	...	1256.47	1256.47	...	1194.29	1194.29	...	1543.22	1543.22
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क													
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संग्रहण	2038	...	2118.41	2118.41	...	2325.63	2325.63	...	2318.67	2318.67	...	3008.12	3008.12
4. अन्य व्यय													
4.01 निरीक्षण निदेशालय	2038	...	35.77	35.77	...	39.38	39.38	...	42.98	42.98	...	45.99	45.99
4.02 प्रणाली और डाटा प्रबंधन	2038	...	155.76	155.76	...	143.75	143.75	...	139.55	139.55	...	206.01	206.01
4.03 सतर्कता	2038	...	11.43	11.43	...	13.78	13.78	...	14.13	14.13	...	15.14	15.14
4.04 राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स अकादमी	2038	...	39.27	39.27	...	59.15	59.15	...	66.55	66.55	...	79.99	79.99
4.05 प्रचार और जनसम्पर्क निदेशालय	2038	...	33.07	33.07	...	35.37	35.37	...	75.34	75.34	...	49.82	49.82
4.06 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	...	33.04	33.04	...	37.21	37.21	...	47.96	47.96	...	48.19	48.19
4.07 अन्य	2038	...	12.48	12.48	...	14.01	14.01	...	14.53	14.53	...	15.76	15.76
जोड़- अन्य व्यय	320.82	320.82	...	342.65	342.65	...	401.04	401.04	...	460.90	460.90
5. अनुरक्षण और मरम्मत	2216	...	2.80	2.80	...	5.00	5.00	...	4.50	4.50	...	5.00	5.00
6. तैयार-निर्मित आवास की खरीद													
6.01 कार्यालय भवन	4059	...	4.50	4.50	...	47.91	47.91	...	21.70	21.70	...	133.59	133.59

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.02 रिहायशी भवन	4216	1.34	1.34	...	3.36	3.36	...	4.50	4.50	
जोड़- तैयार -निर्मित आवास की खरीद		...	4.50	4.50	...	49.25	49.25	...	25.06	25.06	...	138.09	138.09
जोड़-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		...	2446.53	2446.53	...	2722.53	2722.53	...	2749.27	2749.27	...	3612.11	3612.11
7. वास्तविक वसूलियां	2037	...	-0.18	-0.18
	2038	...	-0.18	-0.18
	जोड़	...	-0.36	-0.36
कुल जोड़		...	3485.97	3485.97	...	3979.00	3979.00	...	3943.56	3943.56	...	5155.33	5155.33

1. इसमें सीमाशुल्क विंग की संस्थापना तथा अन्य खर्च के लिए तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग को अनुपातिक प्रभार के भुगतान के लिए, छोटे पत्तनों और भू सीमाशुल्क सीमा चौकियों पर इसने सीमाशुल्क के जो कार्य किये है उसके लिए, किये जाने वाले प्रावधान शामिल है।

2. इसमें अन्य विभागों को भुगतान के लिए रु. 2.42 करोड़ का प्रावधान निहित है। तस्कर रोधी यंत्रों (कंटेनर्स स्कैनर्स) की खरीद, मैरीन फ्लीट तथा 76 एक्सबीआईएस की खरीद पर आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए रु. 133.22 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। सीमाशुल्क कल्याण निधि में रु. 17.50 करोड़ के अंतरण का प्रावधान किया गया है।

3. इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के संस्थापना खर्चों के लिए, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के संग्रहण पर आने वाले अन्य खर्च भी सम्मिलित है, का प्रावधान है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग छोटे बंदरगाहों तथा भू-सीमा शुल्क स्टेशनों जैसे कतिपय स्थानों पर सीमाशुल्क का कार्य भी करता है जिसके लिए सीमा शुल्क विंग से समानुपातिक प्रभार की वसूली की जाती है।

4. यह प्रावधान मुख्यतया निरीक्षण, लेखा परीक्षा, प्रणाली एवं आकड़ा प्रबंधन, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रचार एवं जनसम्पर्क निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, निपटान आयोग एवं अथारिटी फार एडवांस रुलिंग पर आने वाले संस्थापना एवं अन्य खर्च से संबंधित है।

5. यह प्रावधान विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए हैं।

6. इसमें सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए बने बनाये कार्यालयी भवनों की खरीद/ कार्यालयी भवनों के निर्माण और बने बनाये आवासीय भवनों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।